इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 67] भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 फरवरी 2023—फाल्गुन 8, शक 1944

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2023

एफ 9-1-23-नि-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"(3) किसी अस्थायी कर्मचारी के लिए, बिना किसी व्यवधान के, किसी नियमित पेंशन योग्य पद के उपबंधों पर 1 जनवरी, 1974 से पूर्व की गई सेवा की पेंशन के लिए गणना यह मानते हुए की जाएगी, मानो कि ऐसी सेवा नियमित आधार पर की गई हो, बशर्ते कि ऐसी सेवा छह वर्ष से कम की न हो.".

2. यह संशोधन दिनांक 30 जनवरी, 1996 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

F 9-1-23-नि-चार.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 233 read with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh (Work Charged and Contingency Paid Employees) Pension Rules, 1979, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be added, namely:—

"(3) A service made before 1st January, 1974 on the provisions of any regular pensionable post for any temporary employee, without any interference, provided that such service is not less than six years shall be counted for pension suppose that such a service has been done on a regular basis.".

2. This amendment shall be deemed to have come into force from 30th January, 1996.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत कुमार, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.